सीवीसी मामला

तत्काल/समयबद्ध

सं. VIG-01/3/2024-सतर्कता-डीओपी
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
सतर्कता डिवीजन

डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली - 110001
दिनांक : 12/08/2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 के पूर्व-आयोजन के रूप में निवारक सतर्कता उपायों के संबंध में त्रैमासिक अभियान (16 अगस्त, 2024 से 15 नवंबर, 2024 तक)।

यह का.ज्ञा., सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू), 2024 के पूर्व आयोजन के रूप में 16 अगस्त, 2024 से 15 नवंबर, 2024 तक त्रैमासिक अभियान के दौरान विशेष रूप से ध्यान दिए जाने वाले पांच क्षेत्रों में निवारक सतर्कता उपायों के संबंध में सचिव, सीवीसी के दिनांक 01.08.2024 के पत्र सं. 024/वीजीएल/081/36147 द्वारा परिचालित केंद्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्र सं. 08/08/24 (प्रति संलग्न) के संदर्भ में है। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, इस वर्ष का सतर्कता जागरूकता सप्ताह निम्नलिखित विषय पर 28 अक्तूबर से 3 नवंबर, 2024 तक मनाया जाएगा:

"सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि"

2. आयोग यह अपेक्षा करता है कि सभी विभाग/संगठन, निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, निवारक सतर्कता पर उपरोक्त त्रैमासिक अभियान का आयोजन करें:

क्र.सं.	गतिविधि	संबंधित डिवीजन/निदेशालय/ अधीनस्थ कार्यालय	टिप्पणी

क	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	• **प्रशिक्षण डिवीजन**, डाक निदेशालय [रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी और डाक प्रशिक्षण केन्द्रों के संबंध में] • **सभी सर्कल**	**सीवीसी परिपत्र के अनुबंध क में बिन्दु 1 (क) के तहत** सूचीबद्ध विषयों को कवर करते हुए नए भर्ती हुए कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण तथा अन्य के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। अभियान की अवधि के दौरान आरएकेएनपीए और पीटीसी द्वारा विशेष पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाए। रिपोर्टिंग फॉर्मेट और रिपोर्टिंग : **अनुबंध I की तालिका क**
ख	प्रणालीगत सुधार संबंधी उपायों की पहचान और कार्यान्वयन	• **डाक निदेशालय के सभी डिवीजन** • **बीडी निदेशालय/पीएलआई निदेशालय/पार्सल निदेशालय** • **सभी सर्कल** • **सतर्कता डिवीजन**	क्षति और धोखाधड़ी के मामलों और सीवीसी शिकायतों के संबंध में सतर्कता डिवीजन के जांच अनुभाग द्वारा सुझाए गए प्रणालीगत सुधार; जोकि कार्यान्वयन के लिए लंबित हैं, उन्हें अभियान अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जाए। **(सर्कलों के मामले में लागू नहीं)** **सभी सर्कल**, विगत 5 वर्षों के सतर्कता संबंधी मामलों का विश्लेषण करें और भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करें। चिह्नित किए गए क्षेत्रों में खामियों को समाप्त करने के लिए स्पष्ट और विस्तृत प्रस्ताव के साथ एक रिपोर्ट तैयार की जाए और इसे **16.09.2024** तक सीवीओ, डीओपी के साथ साझा किया जाए। रिपोर्टिंग फॉर्मेट और आवृत्ति : **अनुबंध I की तालिका ख**
ग	परिपत्रों/दिशा-निर्देशों/मैनुअलों का अद्यतन	• **डाक निदेशालय के सभी डिवीजन**	अद्यतन के लिए चिह्नित और अद्यतित परिपत्रों/दिशा-निर्देशों/मैनुअलों के ब्यौरे;

		• **बीडी निदेशालय/पीएलआई निदेशालय/पार्सल निदेशालय** • **सीईपीटी**	**अनुबंध I की तालिका ग** में दिए रिपोर्टिंग फॉर्मेट और आवृत्ति के अनुसार प्रस्तुत करें।
घ	30.06.2024 से प्राप्त शिकायतों का निपटान	• **सतर्कता डिवीजन**	
ङ	डायनैमिक डिजिटल उपस्थिति	• **डाक निदेशालय के सभी डिवीजन** • **बीडी निदेशालय/पीएलआई निदेशालय/पार्सल निदेशालय** • **सभी सर्कल** • **सीईपीटी** **नोट:** प्रौद्योगिकी डिवीजन विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे।	डिवीजनों/निदेशालयों द्वारा प्रौद्योगिकी डिवीजन, डाक निदेशालय को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। **कृपया संलग्न सीवीसी परिपत्र के अनुबंध क के बिन्दु सं. 5 का संदर्भ लें** **अनुबंध I की तालिका घ में दिया गया** रिपोर्टिंग फॉर्मेट और आवृत्ति

3. सभी डिवीजनों/निदेशालयों/सर्कलों से अनुरोध है कि निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करें:

i) ऊपर तालिका में विनिर्दिष्ट और दिनांक 01.08.2024 के सीवीसी के का.ज्ञा. के **अनुबंध क** में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार, संगत निवारक सतर्कता उपायों के लिए कार्यकलापों का आयोजन किया जाए।

ii) चिह्नित किए गए निवारक सतर्कता उपायों के संबंध में 'की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट' (एटीआर), अनिवार्य रूप से, इस का.ज्ञा. के अनुबंध I में दिए गए फॉर्मेट में, निम्नलिखित समय-सारणी के अनुसार **पीडीएफ और एमएस-वर्ड फॉर्मेट में dopvigilance@gmail.com** को प्रेषित की जाए :

अभियान प्रारम्भ होने की तारीख	**की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट (एटीआर) सारणी (रिपोर्टिंग की अवधि के आधार पर)**	**अभियान समाप्त होने की तारीख**
15.08.2024	एटीआर-I (16.08.2024 से 31.08.2024) - 04.09.2024 तक एटीआर-II (01.09.2024 से 15.09.2024)- 18.09.2024 तक एटीआर-III (16.09.2024 से 30.09.2024)- 03.10.2024 तक एटीआर-IV (01.10.2024 से 15.10.2024) -18.10.2024 तक एटीआर-V (16.10.2024 से 31.10.2024) -04.11.2024 तक एटीआर-VI (01.11.2024 से 15.11.2024)- 18.11.2024 तक अंतिम रूप से तैयार समेकित एटीआर 22.11.2024 को	15.11.2024

नोट: पांचवे कार्यकलाप नामतः डायनैमिक डिजिटल उपस्थिति के संबंध में, एटीआर-II, एटीआर-IV और एटीआर-VI के अनुसार नियत तारीख लागू होगी।

iii) संबंधित डिवीजन/निदेशालय, इस अभियान को चलाए जाने के दौरान, कोई भी संशय या प्रश्न होने की स्थिति में, यदि चाहें, तो इस डिवीजन के संज्ञान में ला सकते हैं।

iv) अनुरोध किया जाता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की गई संकल्पना के अनुसार इस त्रैमासिक अभियान की सफलता के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करें और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

4. इसे सचिव (डाक) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्न: यथोपरि

(अभिषेक कुमार सिंह)
निदेशक (सतर्कता)

अनुबंध

तालिका - क

कार्यालय का नाम..(विवरण दें)

[16.08.2024 से 31.08.2024 / 01.09.2024 से 15.09.2024 / 16.09.2024 से 30.09.2024 / 01.10.2024 से 15.10.2024 / 16.10.2024 से 31.10.2024 / 01.11.2024 से 15.11.2024] तक की अवधि के लिए रिपोर्ट - जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

क्षमता निर्माण उपाय/कार्यक्रम							
प्रशिक्षण की अवधि (तारीख का उल्लेख करें)	लोकेशन (डब्ल्यूटीसी, पीटीसी, आरएकेएनपीए आदि)	प्रशिक्षण का प्रकार (नई भर्ती के लिए/ पुनश्चर्या कोर्स)	प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों की संख्या (संवर्ग वार)				प्रशिक्षण के संबंध में संक्षिप्त विवरण (प्रशिक्षण के स्थान सहित)
			समूह 'क'	समूह 'ख'	समूह 'ग'	जीडीएस	

तालिका-ख

संबंधित कार्यात्मक डिवीजन/निदेशालय द्वारा भरे जाने के लिए

[16.08.2024 से 31.08.2024 / 01.09.2024 से 15.09.2024 / 16.09.2024 से 30.09.2024 / 01.10.2024 से 15.10.2024 / 16.10.2024 से 31.10.2024 / 01.11.2024 से 15.11.2024] तक की अवधि के लिए रिपोर्ट - जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

कार्यात्मक डिवीजन/निदेशालय का नाम	अवधि (रिपोर्टिंग अवधि उपरोक्तानुसार भरें)	संबंधित अवधि के दौरान कार्यान्वित प्रणालीगत सुधार (संक्षेप में, विवरण अलग से संलग्न किया जाए)	पिछले पांच वर्षों में सुझाए गए प्रणालीगत सुधार, जिनका कार्यान्वयन अभी लंबित

			है (संक्षेप में, विवरण अलग से संलग्न करें)

<u>तालिका-ग</u>

संबंधित कार्यात्मक डिवीजन/निदेशालय द्वारा भरे जाने के लिए

[16.08.2024 से 31.08.2024 / 01.09.2024 से 15.09.2024 / 16.09.2024 से 30.09.2024 / 01.10.2024 से 15.10.2024 / 16.10.2024 से 31.10.2024 / 01.11.2024 से 15.11.2024] तक की अवधि के लिए रिपोर्ट - जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

कार्यात्मक डिवीजन/निदेशालय का नाम	अवधि (रिपोर्टिंग अवधि उपरोक्तानुसार भरें)	अद्यतन के लिए चिह्नित परिपत्र/ दिशा-निर्देश/मैनुअल का ब्यौरा	अद्यतन के लिए चिह्नित परिपत्र/ दिशा-निर्देश/मैनुअल का ब्यौरा [किए गए बदलाव और उनके प्रभाव का तुलनात्मक चार्ट अलग से प्रस्तुत किया जाए]

<u>तालिका-घ</u>

प्रौद्योगिकी डिवीजन द्वारा भरे जाने/संकलित किए जाने के लिए

[16.08.2024 से 15.09.2024 / 16.09.2024 से 15.10.2024 / 16.10.2024 से 15.11.2024] तक की अवधि के लिए रिपोर्ट - जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

सीवीसी के सुझाव	**रिपोर्टिंग अवधि के दौरान की गई कार्रवाई**
सभी संगठनों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि उनकी वेबसाइट अपडेटिड हो और उस पर उपयुक्त एवं प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध हो।	

सभी संगठन ऐसे विषयों/कार्यकलापों की पहचान करें, जिन्हें उनकी मौजूदा वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा सकता है और इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करें।	
सभी विनिर्दिष्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को वेबसाइट नियमित रूप से विजिट करने और किसी भी संशोधन/सामग्री हटाने/अद्‌यतन के लिए उचित अनुमोदन के साथ वेबमास्टर को इनपुट प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपकर एक सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित करें।	
संगठनों द्‌वारा, विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों/एनआईसी को वेबसाइट अद्‌यतन किए जाने के संबंध में आवधिक अनुपालन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की प्रणाली शुरू की जा सकती है।	
उपरोक्त सुझावों के अनुरूप की गई किसी अन्य कार्रवाई का विवरण साझा करें।	